6

राजस्व लोक अदालत कैम्प खेड तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 117/2018

2018/01387

वादीगण :– 1 सलीमखां पुत्र मो0 हनीफ खां मुसलमान निवासी रातानाडा

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. कमला पत्नि हनीफ कुरशी मुसलमान निवासी रातानाडा

88 आर.टी.ए <u>दावा बाबत घोषणा</u>

निर्णय दिनांक:–14.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत खेड प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम रातानाडा के ख0 न0 कमशः 1514/290, 1517/295, 1520/296 रकबा कमशः 704, 6.15, 5.18 बीघा के उक्त आरजी मे राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण संख्या 2225 दर्ज करते समय लिपिकीय भूल से वादी का नाम सलीम खां पुत्र मोहम्मद हनीफ की बजाय हनीफ दर्ज कर दिया है। अतः अशुद्व नाम रफीक की जगह शुद्व नाम सलीम खां पुत्र मोह0 हनीफ करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादीगण द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह, ब्यानकर्ता कमला, के गवाह ब्यान व पटवारी खेड/आर.आई साजियाली की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार रातानाडा के ख0 न0 कमशः 1514/290, 1517/295, 1520/296 रकबा कमशः 704, 6.15, 5.18 बीघा में वादी का अशुद्व नाम रफीक की जगह शुद्व नाम सलीम खां पुत्र मोह0 हनीफ करने की सिफारिश की है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है वादी रफीक की जगह शुद्व नाम सलीम खां पुत्र मोह0 हनीफ नाम दर्ज करे।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प...खेड़.............

Scanned by CamScanner